दिनांक: 15-05-2024

**-प्रेस नोट-**

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 हत्यारोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक12.05.2024 को वादी सचिन कपूर पुत्र ईशम सिंह निवासी ग्राम भाभरी थाना गागलहेडी ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अपनी पुत्री के घर से लापता हो जाने के संबंध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0- 81/2024 धारा 363 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। पुलिस तथा डॉग स्कवायड व फील्ड यूनिट द्वारा गुमशुदा को तलाश हेतु लगाया गया। दिनाकं 13.05.24 को गांव भाभरी मे वादी के भाई विकास के मकान के पीछे एक नीले रंग का बैग / कट्टा में मृतका का शव मिला।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर हत्या की घटना का सफल अनावरण एंव इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर,सहारनपुर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.05.2024 को **अभियुक्तगण 1. वर्षा पत्नी विकास नि0 ग्राम भाभरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 2. शुभम पुत्र गौतम नि0 ग्राम भाभरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा - 302/201/376AB भादवि व 5M/J व 3(IV) पोक्सो एक्ट की बढोतरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो का पिछले 05-06 वर्षों से अवैध संबंध है जिसकी जानकारी हमारे परिवार जनो व गाँव के लोगो को भी है। अभियुक्त शुभम ने बताया कि मैं ग्राम करौन्दी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार में होटल होमटैल में कार्य करता हूँ।परिवार के सभी लोग लगातार हमारे बीच बने अवैध सम्बन्धों का विरोध करते थे लेकिन विरोध के बावजूद भी हम दोनो मौका मिलते ही चोरी छिपे मिलते रहते थे। इस कारण सचिन कपूर की मेरे साथ कहासुनी हुई और मुझे धमकाया भी था।इसी कारण में सचिन से रंजिश रखने लगा था। दिनांक 12.05.2024 को वर्षा से मिलने उसके घर आया हुआ था जहाँ सचिन की पुत्री ने हम दोनो को देख लिया। मेरे व वर्षा दोनो ने क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया और मैं वर्षा के घर से चला गया। अगले दिन जब पुलिस डॉग स्कवायड के साथ आयी तो वर्षा ने डर के कारण घर में बने रोशदान से शव को बाहर फेंक दिया था।

### गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता-

1. वर्षा पत्नी विकास नि0 ग्राम भाभरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. शुभम पुत्र गौतम नि0 ग्राम भाभरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री अनिल कुमार तेवतिया थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री देवकरन शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री विकास सिंघल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. म0उ0नि0 सविता त्यागी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. म0उ0नि0(यूटी) नेहा कुमारी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8. म0उ0नि0 (यूटी) अरशिया कुरैशी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

**-प्रेस नोट-**

**दिनांक:15 -05-2024**

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना कुतुबशेर,सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 बाल अपचारी सहित 04 शातिर गोकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 जिंदा गौवंश, गौकशी करने के उपकरण , अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद

**बरामदगी-**

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 जिंदा गौवंश
- गौकशी के उपकरण (01 कुल्हाडी, 02 छुरे ,02 रस्सी,01 लकड़ी का गुटका, 01 प्लास्टिक का खाली कट्टा , कुछ काली पोलीथीन)

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14/15.05.2024 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर **ग्राम हौजखेड़ी के पास गशत की जा रही थी। तभी नहर पर ईट के भट्टे से स्टार सिटी कालोनी को जाने वाले रास्ते पर तालाब के पास** 05 संदिग्ध व्यक्ति दिखायी दिये। पुलिस टीम को अपने करीब आता देख उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर 03 शातिर **अभियुक्तगण 1.सलमान पुत्र कासिम निवासी ग्राम इनाम कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2. अब्दुल रहमान पुत्र इकराम निवासी ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 3. सोहेल पुत्र जाहिद निवासी न्यू एरा एकेडमी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिनका एक साथी अंधेरे व खेतो का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से **01 जिंदा गौवंश, गौकशी करने के उपकरण (01 कुल्हाडी, 02 छुरे , 02 रस्सी, 01 लकड़ी का गुटका, 01 प्लास्टिक का खाली कट्टा , कुछ काली पोलीथीन), 01 देशी तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद** हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0स0 154/24 धारा 307 भादवि ,धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनिय, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, व धारा 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। अभियुक्त अब्दुल रहमान ने बताया कि मेरी अपनी मीट की दुकान है। हम आस- पास के क्षेत्रों में

घूम रहे अवारा पशुओं को पकड़कर जंगल में ले जाकर सुनसान इलाके में गौकशी करते हैं। कल रात्रि में भी हम सभी ग्राम हौजखेड़ी के जंगल में गौकशी करने गये थे तभी पुलिस टीम द्वारा हमें गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल रहमान ने बताया कि गौकशी करने के बाद मैं अपनी दुकान पर मीट को बेच देता था जिस से हमें अच्छा मुनाफा हो जाता था और मुनाफे को आपस में बाँट लेते थे।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-**

- सलमान पुत्र कासिम निवासी ग्राम इनाम कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- अब्दुल रहमान पुत्र इकराम निवासी ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- सोहेल पुत्र जाहिद निवासी न्यू एरा एकेडमी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामदगी-**

- गौकशी के उपकरण (01 कुल्हाडी, 02 छुरे , 02 रस्सी, 01 लकड़ी का गुटका, 1 प्लास्टिक का खाली कट्टा , कुछ काली पोलीथीन)
- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 जिंदा गौवंश

**गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल रहमान का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0स0 79/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मण्डी जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 554/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मण्डी जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार अभियुक्त सोहेल का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0स0 18/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, 3/10 गुण्डगर्दी अधि0, 3/5/8 गौवध अधि0, 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना मण्डी जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.प्र0नि0 सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

2.उ0नि0 सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

3. है0का0 388 कपिल कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

4. है0का0 639 मुकेश थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

5. है0का0 960 सचिन थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

| दिनांकः 15.05.2024 |
|---|

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 356 ग्राम अवैध चरस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **रहमान उर्फ भूरा पुत्र लतीफ निवासी मौहल्ला बन्दुकची थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम भोजपुर की नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रहमान उपरोक्त के कब्जे से 2 किलो 356 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना नानौता पर **मु0अ0स0 113/24 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त रहमान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै कम पढा लिखा हूं व नशा करने का आदि हूं। मै अपने अन्य साथी के साथ मिलकर दूसरे राज्य से चरस खरीदकर यहां आस पास के क्षेत्रो में बेच देता हूं, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है और मेरे नशे का खर्चा भी चल। कल रात जब मै यह चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रहमान उर्फ भूरा पुत्र लतीफ निवासी मौहल्ला बन्दुकची थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

### बरामदगी का विवरणः-

- 02 किलो 356 ग्राम अवैध चरस।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है0का0 490 अरविन्द थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 830 राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 15-05-2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

## थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2024 को थाना बेहट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **नादिर पुत्र इसरार निवासी मौ0 फूल कालौनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को सीएचसी बेहट से मुर्तजापुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नादिर उपरोक्त के कब्जे से **07 ग्राम स्मैक नाजायज** बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर **मु0अ0स0-153/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त नादिर उपरोक्त सम्बन्धित ने पूछताछ पर बताया कि मै नशे का आदि हूं स्मैक अन्य प्रांत से खरीदकर आसपास के गाँव मे जाकर बेच देता हूं जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। उस पैसे मेरा नशे का खर्चा पूरा हो जाता है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

**1.** नादिर पुत्र इसरार निवासी मौ0 फूल कालौनी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर उम्र करीब 35 वर्ष

### बरामदगी का विवरणः-

- 07 ग्राम अवैध स्मैक

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त नादिर-

1. मु0अ0सं0 61/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 001/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बेहट सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 447/23 धारा 8/20एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 330/16 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2.उ0नि0 श्री तोताराम सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. का0 1323 कुलदीप सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 15.05.2024

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

## थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाकं 09.05.2024 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **असलम पुत्र जिम्मू निवासी अमन कालोनी कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर** द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर **मु0अ0स0 111/2024 धारा 354 क भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम** पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे दिनाकं 14.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उफरोक्त में वांछित अभियुक्त असलम पुत्र जिम्मू निवासी अमन कालोनी कस्बा व थाना चिलकाना को सुल्तानपुर बाईपास तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त असलम पुत्र जिम्मू निवासी मो0 हामिद हसन निकट अमन कालोनी कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर

### गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 57/2018 धारा- धारा—376/511 भादवि 7/8 पोक्सो अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 111/2024 धारा- धारा—354क/352/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. वरिष्ठ उप निरी0 कृष्णपाल सिह थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. हे0का0 246 हेमन्त सिह थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः15-05-2024

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना बड़गांव पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.03.2022 को वादी द्वारा थाना बडगांव पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र राजपाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर द्वारा वादी की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 36/22 धारा 363/366 भादवि अभियोग पंजीकृत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बडगांव के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.05.2024 को अपहर्ता/पीडिता को सकुशल बरामद कर लिया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्वि की गयी। तथा आज दिनांक 15.05.2024 को मुकदमा उपरोक्त में करीब दो वर्ष से वाँछित चल रहे अभियुक्त **प्रदीप कुमार पुत्र राजपाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर** हाल निवासी मीत नगर गली नं0 10 म0नं0 222 दिल्ली को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>**

प्रदीप कुमार पुत्र राजपाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर हाल निवासी मीत नगर गली नं0 10 म0नं0 222 दिल्ली

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>**

01- उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

02- हे0कां0 544 राहुल कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

03- हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर